मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश की

महिला नीति
2008-12

महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश की महिला नीति
2008—12

समाज में सदियों से ही महिलाओं का स्थान गौरवशाली रहा है। पौराणिक कथाएं और इतिहास इस बात की साक्षी है कि महिलाएं न केवल पूज्य रही हैं, बल्कि समाज को नेतृत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका निभाई है। आधुनिकता के नाम पर जब से पुरूष प्रधान समाज की स्थापना हुई, महिला का स्थान गौण हो गया, जिसके चलते समाज के ही लोग शोषक बन गये।

महिलाओं को समता, समानता, गरिमा व क्षमताओं के साथ विकास में बराबर की भागीदारी बनाने के लिये राज्य शासन प्रतिबद्ध है।

महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहु—आयामी प्रक्रिया है, जिसका उददेश्य उन सामाजिक सांस्कृतिक और भौतिक स्थितियों को बदलना है जो महिलाओं को पुरूषों के समस्तर पर आने में बाधक हैं। राज्य की नीति की बुनियादी अवधारणा के रूप में सशक्तिकरण का अर्थ राज्य की सोच, पहल और हस्तक्षेप में मूलभूत बदलाव है जिससे ऐसी परिस्थितियां बनें कि महिलाएं संविधान में उन्हें दिये गए वैध अधिकारों का उपयोग कर सकें। इस नीति की यह प्राथमिकता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में होने के साथ ही समाज के विभिन्न स्तरों में उनकी सामूहिक क्षमता का भी सशक्तिकरण हो। साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए भेदभाव न करने की सक्रिय नीति हो और स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवनयापन में एवं संसाधन पाने में गंभीर जेण्डर असंतुलन को ठीक करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सहयोगी स्थितियां बन सके।

इस नीति के माध्यम से यह प्रयास होगा कि सेवाओं और संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण बढ़े तथा सामाजिक न्याय के लिए काम करने में महिलाओं का नेतृत्व बढ़े, जिससे राज्य की सभी नीतियों और कार्यक्रमों में एक अनुकूल वातावरण बन सके और महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इनका स्थायी भाव बन जाए। सफलता का पैमाना यह होगा कि नीति और उसका कार्यान्वयन महिलाओं के लिए स्थान बनाने में, स्वायत्ता और सम्मान बनाने में महिलाओं का कितना सशक्तिकरण करते हैं और महिलाओं के अधिकारों और उनकी क्षमताओं को किस प्रकार पात्रता का रूप देते हैं। अस्तु यह महिला नीति इसी सोच और परिकल्पना का प्रकटीकरण है।

परिकल्पना

समता, समानता, गरिमा व क्षमताओं के साथ महिला को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।

लक्ष्य

विकास की मुख्य धारा में महिला की गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

- महिला के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण।
- महिला की समग्र क्षमताओं का विकास।
- महिला से संबंधित नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का परिणाममूलक क्रियान्वयन।

नीतिगत प्रावधान

1. महिलाओं के घटते लिंग अनुपात में संतुलन एवं संबंधित विधियों का दृढ़ता से क्रियान्वयन हेतु रणनीति एवं बालिका भ्रूण हत्या समाप्त करने के लिये सामाजिक जागरूकता व पुरूषवर्ग में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना।
2. महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध नियंत्रित करने के तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे महिलायें स्वयम् हिंसा व अपराध के विरूद्ध पहल कर सकेंगी।
3. शिक्षा के द्वारा महिला एवं बालिका का सशक्तिकरण व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना तथा उनके पक्ष में सकारात्मक वातावरण बनाना।
4. महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें एवं आहार पोषण की उपलब्धता।
5. जीवन यापन के क्षेत्र में रोजगार व आय बढ़ाने के अवसरों के लिये क्षमताओं को विकसित करना।
6. किशोरी बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आहार, के साथ गुणात्मक उपलब्धता तथा श्रम व यौन–शोषण पर नियंत्रण एवं जीवन–कौशल विकसित करना।
7. महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी एवं इस हेतु क्षमताओं को विकसित करना।
8. महिलाओं की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार लोक व्यय में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जैण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था का निर्धारण व क्रियान्वयन।
9. श्रमिक महिलाओं के कल्याण, अधिकार संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शोषण रहित वातावरण के साथ उनसे संबंधित विधियों, नीतियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।
10. कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ यौन–प्रताड़ना के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन।
11. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला की वन, जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण सबंधी मुद्दों में सक्रिय सहभागिता बढ़ाना।
12. कृषि,पशुपालन,मत्स्योद्योग एवं ग्रामोद्योग संबंधित गतिविधियों में क्षमताओं के साथ सक्रिय सहभागिता एवं विकास संसाधनों पर नियंत्रण।
13. कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को समान अवसर एवं आवश्यक सुविधायें प्रदान करना।
14. सूचना संचार तकनीक के माध्यम से महिलाओं की सूचना संसाधनों तक पहुंच एवं क्षमताओं का विकास करना।
15. महिलाओं से संबंधित नीतिगत प्रावधान,कार्यक्रमों एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन कर उसके आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना।

नीतिगत प्रावधानों के अनुसार मुद्दे

1. महिलाओं के घटते लिंग अनुपात को संतुलित करना एवं बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम

महिलाओं के घटते लिंग अनुपात में संतुलन एवं संबंधित विधियों का दृढ़ता से क्रियान्वयन हेतु रणनीति एवं बालिका भ्रूण हत्या समाप्त करने के लिये सामाजिक जागरूकता व पुरूषवर्ग में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना।

2. महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध को नियंत्रित करने की पहल

महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध नियंत्रित करने के तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे महिलायें स्वयम् हिंसा व अपराध के विरूद्ध पहल कर सकेंगी।

3. महिलाओं मे शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण एवं जीवन में गुणवत्ता

शिक्षा के द्वारा महिला एवं बालिका का सशक्तिकरण व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना तथा उनके पक्ष में सकारात्मक वातावरण बनाना।

4. महिलाओं के लिये गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें

महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें एवं आहार पोषण की उपलब्धता ।

5. महिलाओं की क्षमताओं का विकास रोजगार एवं आय बढ़ाने के अवसर

जीवन यापन के क्षेत्र में रोजगार व आय बढ़ाने के अवसरों के लिये क्षमताओं को विकसित करना।

6. किशोरी बालिका के विकास के विशेष प्रयास

किशोरी बालिकाओं की शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,आहार, के साथ गुणात्मक उपलब्धता तथा श्रम व यौन शोषण पर नियंत्रण एवं जीवन कौशल विकसित करना।

7. प्रत्येक स्तर पर निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में भागीदारी

महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी एवं इस हेतु क्षमताओं को विकसित करना।

8. जेण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था

महिलाओं की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार लोक व्यय में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जैण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था का निर्धारण व क्रियान्वयन।

9. श्रमिक महिलाओं के लिये हित संरक्षण एवं संसाधन

श्रमिक महिलाओं के कल्याण,अधिकार संरक्षण,स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शोषण रहित वातावरण के साथ उनसे संबंधित विधियों,नीतियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।

10. कार्य क्षेत्र में यौन प्रताड़ना की रोकथाम

कार्यक्षेत्र में महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन।

11. महिलाओं की वन,जल,स्वच्छता एवं पर्यावरण में सक्रिय भागीदारी

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला की वन,जल,स्वच्छता एवं पर्यावरण सबंधी मुद्दों में सक्रिय सहभागिता बढ़ाना।

12. महिला की कृषि,पशुपालन,मत्स्योद्योग एवं ग्रामोद्योग में सहभागिता

कृषि पशुपालन,मत्स्योद्योग एवं ग्रामोद्योग संबंधित गतिविधियों में क्षमताओं के साथ सक्रिय सहभागिता एवं विकास संसाधनों पर नियंत्रण।

13. कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं के लिये सुविधायें एवं संसाधन

कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को समान अवसर एवं आवश्यक सुविधायें प्रदान करना।

14. महिलाओं की सूचना संचार तकनीकी में भागीदारी

सूचना संचार तकनीक के माध्यम से महिलाओं की सूचना संसाधनों तक पहुंच एवं क्षमताओं का विकास करना।

15. नीतिगत प्रावधानों की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन

महिलाओं से संबंधित नीतिगत प्रावधान,कार्यक्रमों एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन कर उसके आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना।

उपरोक्त नीतिगत प्रावधानों को सफलतापूर्वक तभी कार्यान्वित किया जा सकेगा, जब पुरूष वर्ग की सोच और दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन आये और उसे एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया जाये।

महिला नीति की कार्ययोजना

1. 1. महिलाओं के घटते लिंग अनुपात को संतुलित करना एवं बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं के घटते लिंग अनुपात में संतुलन एवं संबंधित विधियों का दृढ़ता से क्रियान्वयन हेतु रणनीति एवं बालिका भ्रूण हत्या समाप्त करने के लिये सामाजिक जागरूकता बढ़ाना व पुरूषवर्ग में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- पूर्व प्रसव निर्धारण तकनीक अधिनियम (पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम) के क्रियान्वयन के लिये संस्थागत व्यवस्था व मॉनिटरिंग।
- बालिकाओं के प्रति प्रत्येक स्तर पर जैण्डर न्याय पर आधारित संवेदनशील सकारात्मक वातावरण का निर्माण।
- वर्तमान संदर्भों में अनुसंधान व परिणाममूलक निष्कर्ष खोजना।
- सरकारी, एवं गैर सरकारी इकाईयों, महिला संगठनों, स्व सेवी संस्थाओं की भूमिका सुनिश्चित करना।

कार्ययोजना

क.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
1.1	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में **अनिवार्य जन्म पंजीयन** एवं निरंतर मॉनिटरिंग।	2008–2009 सभी संभागों के लिये सघन कार्यक्रम ग्वालियर, चंबल व सागर संभागों में सघन अभियान	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्व विभाग योजना एवं आर्थिक सांख्यिकीय विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
1.2	शैक्षणिक संस्थानों व सामाजिक संगठनों के माध्यम से **महिलाओं के पक्ष में** संवेदनशील सकारात्मक वातावरण के निर्माण एवं पुरूष मानसिकता में बदलाव हेतु राज्य, संभाग, जिला एवं ब्लाक स्तर पर संगोष्ठि, कार्यशालाओं,अन्य कार्यक्रमों,प्रतियोगिताओं के जरिए व अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत जागरूकता को बढावा।	सघन जागरूकता अभियान, कार्यशालाओं,अन्य कार्यक्रमों,प्रतियो–गिताओं का आयोजन 2008–2012	स्कूल शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग,सामाजिक न्याय,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,कृषि,सहकारिता एवं अन्य विभाग
1.3	''महिलाओं का घटता लिंग अनुपात एवं बालिका भ्रूण हत्या'' विषय पर महिलाओं के प्रति पुरूष मानसिकता में बदलाव लाकर उन्हें महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाने के लिए **अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम** का आयोजन एवं संबंधित इकाईयों की	2008–2012 में विशेष सघन अभियान	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सक, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, वकील, पेथालाजिस्ट, पंचायत/नगरीय इकाईयों के प्रतिनिधि के साथ एन.जी.ओ. एवं महिला संगठन, स्व सहायता समूह महिला एवं बाल विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

	जवाबदेही सुनिश्चित करना, चिकित्सकों, पुलिस, वकीलों, महिला संगठनो एवं एनजीओ आदि के लिये **प्रशिक्षण** ।		नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग
1.4	**पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम के कड़ाई से पालन के लिये रणनीति की जिला स्तर पर समयबाधित विशेष पुनरीक्षा एवं जाँच निरीक्षक की व्यवस्था** – राज्य स्तर पर – संभाग स्तर पर – जिला स्तर पर – ग्राम स्तर पर **एक्ट के क्रियान्वयन के लिये कार्यवाही** • चिकित्सा केन्द्रो की जवाबदेही सुनिश्चित करना। • रिकार्ड निरीक्षण। • जिला प्रशासन की जवाबदेही। • चिकित्सालयों में पी.एन.डी.टी. एक्ट की प्रति रखना। • मशीनों के पंजीयन का निरीक्षण। • हेल्प लाइन। **प्रशासनिक सक्रियता**	2008–2012 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग
1.5	पी.सी.पी.एन.टी. एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये **सामाजिक एकजुटता (Social Mobilization) एवं नेटवर्किंग** द्वारा सभी वर्गों को जोड़कर स्थानीय स्तर पर प्रयास एवं दबाव समूहों का निर्माण एवं एन.जी.ओ.की भागीदारी सुनिश्चित करना भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले को पुरस्कार।	सभी संभागों में सघन अभियान 2008–10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जन संपर्क विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संबंधित इकाईयाँ महिला एवं बाल विकास विभाग
1.6	परिवार/समुदाय की पुरूष प्रधान **मानसिकता में बदलाव लाकर** महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाने के लिए के लिये **सूत्रधार** का मनोनयन एवं संतुलित लिंगानुपात वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करना।	सभी संभागों में सघन अभियान 2008–2011	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जन संपर्क विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संबंधित इकाईयाँ
1.7	निरंतर **मॉनिटरिंग एवं वार्षिक मूल्यांकन मॉनिटरिंग में स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता**	2008–2011 सतत्	**मूल्यांकन** – म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश द्वारा **मॉनिटरिंग** – लोक स्वास्थ्य एवं परिवार

	पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के संबंध में **हेल्प लाइन** की स्थापना। जिन क्षेत्रों में महिला पुरूष अनुपात में अधिक अंतर है,उनके लिए विशेष कार्य योजना।		कल्याण विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग,

प्रतिफल

महिलाओं के घटते लिंग अनुपात में संतुलन एवं पुरूष वर्ग में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना।

2. महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध को नियंत्रित करने की पहल

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध नियंत्रित करने के तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे महिलायें स्वयम् हिंसा व अपराध के विरूद्ध पहल कर सकेंगी।

संस्थागत व्यवस्थायें

- महिलाओं के प्रति किये गये ऐसे कार्य जो स्थापित विधियों के अनुसार दंडनीय है, उनके लिये प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) व विधिक सहायता।
- समयोचित अन्वेषण एवं त्वरित अपराधिक न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- प्रताड़ित महिला के प्रति साक्ष्य सुरक्षा एवं अन्य सहयोग की संस्थागत व्यवस्था।
- महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध नियंत्रित करने के लिये मॉनिटरिंग।
- प्रशिक्षण तदुपरांत फॉलोअप प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स ।

कार्ययोजना

क्र.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
2.1	महिलाओं के लिये **घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005** का प्रभावी क्रियान्वयन व इस हेतु मॉनिटरिंग तंत्र की व्यवस्था एवं अधिनियम का प्रचार प्रसार एवं प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण।	2008–2012 में तंत्र की व्यवस्था सतत् कार्यवाही	गृह विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग महिला संसाधन केन्द्र, प्रशासन अकादमी
2.2	शहरी एवं ग्रामीण स्तर के प्रत्येक पुलिस थानों में **महिला पुलिस अधिकारी या महिला सेल** की व्यवस्था।	सतत्	गृह विभाग
2.3	प्रत्येक स्तर पर पुलिस, न्यायिक कर्मियों एवं अधिकारियों को **जेण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण** ।	2008–11 सतत्	म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
2.4	महिला द्वारा शिकायत पर **एफ.आई. आर. दर्ज करना, समोचित अन्वेषण एवं त्वरित अपराधिक न्याय प्रकिया**	2008–12 सतत्	गृह विभाग समस्त विभाग

	रेल एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा।		
2.5	प्रत्येक ब्लाक स्तर पर परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना एवं प्रशिक्षित **कौंसिलर्स के द्वारा परामर्श** एवं संभाग स्तर पर केन्द्रों की समीक्षा एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता।	2008–09 सतत्	गृह विभाग
2.6	प्रताडित महिलाओं को **विधिक सहायता** उपलब्ध कराना एवं उनके प्रति **संवेदनशील व्यवहार** एवं संभाग स्तर पर केन्द्रों की समीक्षा महिलाओं को विधियों की जानकारी एवं इस हेतु प्रभावी तंत्र की व्यवस्था। महिलाओं से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का कडाई से पालन	2008–10	गृह विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग
2.7	प्रत्येक जिला, ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिये **हेल्प लाइन** की स्थापना एवं हेल्प लाइन के टेलीफोन नम्बर एवं पते स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में लिखना, प्रदर्शित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला **हेल्प लाइन** का विस्तार	2008–12	गृह विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
2.8	बलात्कार की शिकायत पर कडी कानूनी कार्यवाही पुलिस एवं संबंधित इकाईयों की जबावदेही एवं कडाई से प्रक्रिया का पालन एवं बलात्कार एवं अन्य यौन हिंसा से संबंधित मामलों में **बंद कमरों में कार्यवाही** एवं प्रभावित महिला को सुविधानुसार महिला या पुरूष की उपस्थिति के लिये चयन का अधिकार।	2008–2012 सतत् कार्यवाही	गृह विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग
2.9	**विधिक साक्षरता** एवं महिलाओं के अधिकारों, संरक्षण से संबंधित विधियों, आदेशों का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं महिला वकीलों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका।	2008–2012 सतत्	विधि एवं विधाई कार्य विभाग जनसंपर्क विभाग
2.10	लोक अभियोजन के पेनल में **महिला वकीलों** की संख्या की सुनिश्चितता।	2008–2012	गृह विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग
2.11	भारतीय दंड संहिता की धारा 125 की कार्यवाही में **भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अवधि समय बाधित** करना।	2008–2012	विधि एवं विधाई कार्य विभाग
2.12	बाल विवाह,सती प्रथा,महिलाओं के प्रति	2008–2012	पंचायत एवं सामजिक न्याय

	यौन शोषण से संबंधित **विधियों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग व मूल्यांकन एवं पंचायत व नगरीय निकायों से जोड़ना एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।** प्रत्येक ब्लाक में महिला समूहों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रथाओं के विरूद्ध **जागरूकता एवं अनिवार्य विवाह पंजीयन व विधवा विवाह को प्रोत्साहन।**		विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग
2.13	महिलाओं से संबंधित **सामाजिक कुरीतियों,जातिगत हिंसा के विरूद्ध कडी कार्यवाही एवं पंचायत नगरीय निकायों, सामाजिक संगठनों, स्वसहायता समूहों की भूमिका सुनिश्चित करना एवं** पंचायत संस्थाओं के प्रतिनिधियों का अभिमुखीकरण। (Multi Agency Approach)	2008–2012 सघन समय बाधित अभियान	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग
2.14	जिला स्तर पर महिलाओं के प्रति अपराध व हिंसा की मॉनिटरिंग व मूल्यांकन के लिये **जिला समिति का गठन** जिसमें विधि, समाज सेवा/महिला संगठन व पुलिस, न्याय व्यवस्था से संबंधित सदस्य।	2008–2010 की अवधि में कार्यवाही	गृह विभाग विधि एवं विधायी कार्य विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
2.15	महिलाओं के प्रति उत्पीडन, हिंसा व अपराध के विरूद्ध किये **अच्छे कार्यों (Best Practices) का प्रचार प्रसार** व इस हेतु **साहित्य का विकास।**	2008–2012	जनसंपर्क विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
2.16	महिला की **नकारात्मक एवं पूर्वाग्रहों के आधार पर छवि के प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं अवमानना पर दंड का प्रावधान** किया जाना ।	2008 से निरंतर	जनसंपर्क विभाग गृह विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
2.17	बालिकाओं के यौन शोषण, अवैध व्यापार (ट्रॅफिकिंग), प्रताड़ना,बालश्रम के विरूद्ध **नीति व कार्यक्रम सुनिश्चित करना एवं तत्काल समयबाधित कार्यवाही।**	2008–2012 सतत्	गृह विभाग श्रम विभाग सामाजिक न्याय विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
2.18	महिलाओं को **विधियों की जानकारी,** प्रशिक्षण व समन्वय एवं मानिटरिंग के लिये प्रभावी तंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।	2008–2012	विधि एवं विधाई कार्य विभाग सामान्य प्रशासन विभाग
2.19	**जिला स्तर पर परिवार न्यायालय की स्थापना।**	2008–2012	विधि एवं विधाई कार्य विभाग
2.20	योजनाओं एवं कार्यक्रमों की निरंतर **मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, व परिणाम मूलक**	2008–2012	सभी संबंधित विभाग गृह विभाग

	मानदंड सुनिश्चित करना एवं एन.जी.ओ. की सहभागिता को बढ़ावा।		म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
2.21	गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाली **लड़कियों के विवाह के लिये शासन द्वारा विशेष सुविधा।**	2008–2012	पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग
2.22	जिला एवं ब्लाक स्तर पर घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं के लिये **आश्रय गृहों की स्थापना।**	2008–2012	महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रतिफल

महिला के प्रति हिंसा, अपराध पर नियंत्रण,विधिक जानकारी एवं अधिक न्याय व्यवस्था के साथ अधिकारों का संरक्षण।

3. महिलाओं में शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण एवं जीवन में गुणवत्ता

नीतिगत प्रावधान

शिक्षा के द्वारा महिला एवं बालिका का सशक्तिकरण व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाना तथा उनके पक्ष में सकारात्मक वातावरण बनाना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- शिक्षा के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण व विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये तंत्र की व्यवस्था।
- जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से गुणवत्ता बढ़ाने के लिये संसाधन एवं संस्थागत सहयोग।
- व्यवसायिक शिक्षा व कैरियर मार्गदर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
- शिक्षा के परंपरागत ढ़ाचें में जैण्डर न्याय के आधार पर बदलाव के लिये कार्यक्रमों व योजनाओं का कियान्वयन व मूल्यांकन एवं इस क्षेत्र में शोध।

कार्ययोजना

क.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
3.1	**शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण** व महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये विशेष कार्यक्रम एवं महिलाओं से संबंधित सूंचकाँको की सुनिश्चिता एवं समयबाधित मानिटरिंग।	2008–12 सघन कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग
3.2	शिक्षा में गुणवत्ता **निर्देशांक** सुनिश्चित करना, गुणवत्ता के मानदण्ड एवं मॉनिटरिंग, मूल्यांकन ।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
3.3	बालिका **ड्राप आउट रेट नियंत्रित** करना एवं इस हेतु शिक्षकों, अभिभावकों,पालक शिक्षक संघ के साथ क्षेत्रीय आधार पर कार्ययोजना बनाना	2008–10 सघन कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग

	एवं क्रियान्वयन।		
3.4	शैक्षणिक संस्थानों मे महिलाओं एवं बालिकाओं को **मूलभूत सुविधाएँ जैसे टायलेट, पानी एवं अन्य बालिकाओं से संबंधित सुविधाओं की पूर्ति।**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग व अन्य संबंधित विभाग
3.5	**दूर शिक्षण पद्धति** से प्रत्येक शिक्षक विशेषकर पुरूष शिक्षकों/शिक्षा अधिकारियों के लिये अनिवार्य **जैण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण** (प्रशासन अकादमी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर आयोजित करेगी)	2008–12 सतत्	म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
3.6	बालिका एवं महिला शिक्षा के प्रति शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में **मानसिकता विशेषकर पुरूष मानसिकता में बदलाव** एवं वातावरण का निर्माण करना, महिला संगठनों, स्व सहायता समूहों को जोड़ना वार्षिक कार्यक्रम का निर्धारण।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग
3.7	स्कूल में गरीब छात्राओं के श्रम एंव शोषण के विरूद्ध नियंत्रण एवं इस हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।	2008–10 विशेष कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग व अन्य संबंधित विभाग
3.8	लिंग विभेद, शिक्षा, महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा एवं इस हेतु महाविद्यालयों में **परामर्श केन्द्र**। अपरांपरागत व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन। केन्द्र एवं मार्गदर्शक की जानकारी विद्यालय पटल पर लिखी जाये।	2008–09 जिला स्तर पर	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग
3.9	सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 8 तक **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं गरीब जरूरत मंद छात्राओं को 10 प्लस 2 में भी प्रावधान।**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग
3.10	बालिकाओं को शाला में पढ़ाई जारी रखने में आने वाली बाधाओं को चिन्हित कर दूर करने के लिये **संसाधन उपलब्ध कराना** एवं **विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था,सुरक्षा एवं आश्रय की उपलब्धता। साइकिल प्रदाय योजना का प्रभावी क्रियान्वयन एवं समय पर सायकिल उपलब्ध कराना।**	2008–10	स्कूल शिक्षा विभाग
3.11	कम महिला शिक्षा के क्षेत्रों को चिन्हित कर बालिका शिक्षा के **विशेष प्रयास** एवं महिला समूहों व स्वसहायता **समूहों को जोड़ना एवं मध्यान्ह भोजन की सुविधा स्वसहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराना कार्ययोजना कार्यक्रम को शिक्षा सत्र के प्रारंभ में सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करना।**	सघन अभियान 2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3.12	स्कूल शिक्षा में बालिका शिक्षा, **किशोरी बालिका**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग

	से संबंधित मुद्दों जैसे स्वास्थ्य,जीवन कौशल आदि को विशेष रूप से जोड़ना।		महिला बाल विकास विभाग
3.13	लिंग से जुड़े मुद्दों पर शिक्षकों, अभिभावकों, जन प्रतिनिधियों व समुदाय के लिये **संवेदनशीलता कार्यक्रमों** का आयोजन एवं इस हेतु पालक शिक्षा संघ एवं अन्य संगठनों की भूमिका को प्रभावी बनाना।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन विकास विभाग
3.14	बालिकाओं के लिये **विशेष खेलकूद व कोचिंग** की व्यवस्था ।	2008–12	खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
3.15	**जेण्डर संवेदनशीलता, महिला अधिकारों का संरक्षण आदि** विषय को पाठयक्रम में शामिल करना एवं महिलाओं से संबंधित अधिकारों का प्रचार–प्रसार ।	2008–10 सघन कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग
3.16	**उच्च शिक्षा में व्यवसायिक शिक्षा को प्राथमिकता** के साथ संचार, कौशल, कम्प्यूटर आदि का विशेष प्रशिक्षण, **मूल्यों पर आधारित शिक्षा** को शामिल करना ।	2008–12 सतत्	उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग
3.17	महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को हटाने की दृष्टि से **पाठ्यपुस्तकों की पुनरीक्षा।**	2008–12	स्कूल शिक्षा
3.18	**शारीरिक रूप से निःशक्त बालिका एवं महिला** को शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुविधायें प्रदान करना ।	2008–12	पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग
3.19	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेषकर सहशिक्षा वाले या बालक शिक्षण संस्थाओं में जेण्डर से संबंधित मुद्दों **महिला अधिकारों के संरक्षण** के लिये चर्चा, संगोष्ठि व परिचर्चाओं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग तकनीकि शिक्षा,अनुसूचित जाति/जनजाति शिक्षा विभाग,खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
3.20	दूर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से महिलाओं संबंधित विषयों पर व्यापक **नेटवर्क स्थापित करना।**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग
3.21	बालिकाओं की रूचि के अनुसार पाठ्यक्रम एवं शिक्षा, रोजगार के अवसर जिसमें परामर्श के आधार पर विज्ञान तकनीकी शिक्षा एव सूचना तकनीक, पाठय पुस्तक व **प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये अवसर** मिलें।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग तकनीकि शिक्षा विभाग
3.22	बालिकाओं के लिये **छात्रावासों की स्थापना** एवं उनका कुशलतापूर्वक प्रबंधन एवं संचालन एवं उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था ।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग आदिवासी विकास विभाग

3.23	गरीबी रेखा से नीचे की छात्राओं को नीति, कार्यक्रमों व **योजनाओं का अधिकतम लाभ** दिलाया जाना।	2008–12 सघन कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग आदिवासी विकास विभाग उच्च शिक्षा विभाग
3.24	**प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना।**	2008–12	उच्च शिक्षा विभाग
3.25	महिलाओं से संबंधित विषयों के अध्ययन पर **विशेष डिप्लोमा कोर्स** एवं **विशेष छात्रवृत्ति के प्रावधान एवं विभिन्न** माध्यमों से उनका प्रचार–प्रसार ।	2008–12 सतत प्रयास	उच्च शिक्षा विभाग
3.26	**स्कूल एवं कॉलेज में स्वसुरक्षा तकनीक जैसे जूडो कराटे प्रशिक्षण**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग,खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
3.27	महिला, बालिका शिक्षा कार्यक्रमों की निरंतर **मॉनिटरिंग, मूल्यांकन व अनुसंधान।**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग
3.28	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये दूर क्षेत्र से आने वाली छात्राओं को **सायकिल प्रदाय** ।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिफल

महिलाओं एवं बालिकाओं में शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे चुनौतियों का सामना करने के लिये क्षमताओं व गुणवत्ता का विकास होगा, पुरूष वर्ग में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।

4. महिलाओं के लिये गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें एवं आहार पोषण की उपलब्धता।

संस्थागत व्यवस्थायें

- प्रत्येक आयु की महिला की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ एवं सेवाओं की उपलब्धता हेतु संस्थागत व्यवस्थायें।
- महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु संस्थागत व्यवस्था।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ्य महिला के लिये संस्थागत सुविधायें उपलब्ध कराना।
- मातृ मृत्युदर, एड्स एवं एनिमिया पर नियंत्रण के लिये सघन कार्यक्रम सुनिश्चित करने के तंत्र को विकसित करना एवं नियंत्रित करने के लिये निरंतर मॉनिटरिंग एव मूल्यांकन।
- चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों में महिला स्वास्थ्य संकेतकों, बालिका भ्रूण हत्या संबंधी जानकारी को शामिल करना।

कार्ययोजना

क.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
4.1	**प्रत्येक आयुवर्ग** की **महिलाओं के स्वास्थ्य** की देखभाल तथा चिकित्सा संस्थाओं में **पृथक से वार्ड एवं सुविधायें** एवं सुविधाओं	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग

	की जानकारी उपलब्ध कराना।		
4.2	सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं संबंधित इकाईयों के लिये जैण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण जिसमें महत्वपूर्ण महिला **स्वास्थ्य संकेतकों का समावेश** हो। **प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर** प्रसारित करना।	2008 सघन प्रशिक्षण महिला संकेतकों के अनुसार जिलों का चिन्हांकन कर कार्ययोजना	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.3	महिलाओं से संबंधित चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सकों व चिकित्सालय कर्मियों को **नवीनतम तकनीकी पद्धति** व चिकित्सालय प्रबंधन पर रिफ्रेशर कोर्स	2008–10 एक वर्ष सघन प्रशिक्षण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.4	प्रजनन स्वास्थ्य, के लिये चिकित्सालयों मे आवश्यक **संसाधनों की व्यवस्था** – स्टाफ, उपकरण, मूलभूत सुविधा एवं गांव में प्रसव कक्ष की व्यवस्था, पर्याप्त स्वच्छता और कार्यकताओं की सुविधा	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.5	प्रत्येक ब्लाक स्तर पर **चिकित्सालय में महिला गायनाकॉलाजिस्ट** की पद स्थापना, ग्रामीण स्तर पर **पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जाये या ए.एन. एम. को पेथोलाजी का प्रशिक्षण दिया जाये जिससे ग्रामीण महिलाओं को सुविधा हो।**	2008–10 एक वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.6	ब्लाक स्तर पर **टेली मेडिसिन केन्द्रों** की स्थापना।	2008–10	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.7	असाध्य रोगों से प्रभावित महिलाओं के **स्वास्थ्य की विशेष देखभाल** एवं इस संबंध में जानकारी की उपलब्धता।	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.8	अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों, इकाईयों के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य पर **कार्ययोजनाओं का कियान्वयन व पारदर्शिता**	2008–12 निरंतर	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.9	**संस्थागत प्रसव एवं सुरक्षित मातृत्व के लिये कार्ययोजना एवं संसाधनों को बढावा।** जिला, ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों की स्थापना।	2008–10 सघन कार्ययोजना	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति
4.10	परिवार कल्याण एवं महिला स्वास्थ्य, एड्स एवं सेक्सुअली ट्रान्समिटेट रोगों एवं उनसे संबंधित **कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं लाभ राशि सीधे महिला को प्रदान करना एवं प्रचार प्रसार में पुरूषों की भागीदारी सुनिश्चित करना एवं एड्स पीडित महिलाओं के लिये विशेष**	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनसंपर्क विभाग

	योजनायें एवं पुनर्वास की व्यवस्था। कार्यक्रमों का वार्षिक मूल्यांकन।		
4.11	महिलाओं में **एनिमिया पर नियंत्रण** के लिये कड़ाई से **मॉनिटरिंग एवं कार्ययोजना, प्रचार प्रसार**, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इस हेतु पंचायत संस्थानों, महिला संगठन, स्वसहायता समूहों से सहयोग	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
4.12	आदिवासी एवं ग्रामीण महिला के **पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा।**	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धति आदिवासी विकास विभाग
4.13	**गरीब महिलाओं को प्रसव के समय निःशुल्क दवायें एवं पौष्टिक आहार की सुनिश्चिता।** जिला स्तर पर निरीक्षण समितियों का गठन।	2008–12 सतत्	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4.14	खाद्य सुरक्षा के लिये आहार पोषण कार्यक्रमों का आयोजन क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर **पौष्टिक आहार के लिये कार्ययोजना एवं एनीमिया नियंत्रण को ध्यान में रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं राशन प्रणाली की व्यवस्था** **गर्भावस्था के समय में पोषण आहार एवं छोटी–छोटी सुविधाओं के लिये योजनाऐ एवं गरीब महिलाओं को निःशुल्क दवायें और जांच की सुविधायें।**	2008–10	स्कूल शिक्षा विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
4.15	बालिकाओं कक्षा 8–12 तक के लिये स्कूल मे **विटामिन ए एवं फॉलिक एसिड का अनिवार्य रूप से खिलाया जाना।**	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्कूल शिक्षा विभाग
4.16	चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में महिला **चिकित्सा शिक्षा संकेतकों का समावेश** एवं बालिका भ्रूण हत्या के संबंध में जानकारी।	2008–12	चिकित्सा शिक्षा विभाग
4.17	प्रायवेट अस्पताल में **प्रसूति की सुविधा** एवं महिला की चिकित्सा के लिये **सरकार द्वारा प्रभावी हस्तक्षेप** एवं जिलावार एवं ब्लाकवार जानकारी की उपलब्धता।	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.18	मातृमृत्यु दर कम करने के लिये सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं शासन की जननी सुरक्षा योजना, विजयराजे जननी सुरक्षा बीमा योजना का विशेष लाभ एवं स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा । इन योजनाओं में मिलने वाली राशि सीधे महिलाओं के खाते में जमा करने की व्यवस्था एवं गर्भवती महिला के लिये परिवहन की सुविधा	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.19	महिलाओं को गुणात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये मोबाईल चिकित्सा एवं समय पर	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

	चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियो की की जबाबदेही सुनिश्चित करना एवं पालन न करने पर दंड का प्रावधान।		
4.20	जिन जेलों में महिलायें है उनमें महिला गायनोक्लोजिस्ट की पदस्थापना हो।	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जेल विभाग

प्रतिफल – महिलाओं के घटते लिंग अनुपात में संतुलन, मातृ मृत्युदर में कमी एवं महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिये गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता।

5. महिलाओं की क्षमताओं का विकास रोजगार, एवं आय बढ़ाने के अवसर

नीतिगत प्रावधान

जीवन यापन के क्षेत्र में रोजगार व आय बढ़ाने के अवसरों के लिये क्षमताओं को विकसित करना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- आय बढ़ाने के लिये रोजगार के अवसर, गतिविधियों के लिये संस्थागत ढ़ाचा व व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों के सहयोग से गरीबी कम करने के प्रयास हेतु रणनीति व कार्ययोजना।
- क्षमताओं के विकास के क्षेत्रों में निरंतर शोध व मूल्यांकन के अनुसार नवाचार कार्ययोजना।

कार्ययोजना

क्र.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
5.1	महिलाओं को **रोजगार एवं आय बढ़ाने के** कार्यक्रम व गतिविधियों का निर्धारण एवं इस हेतु संस्थागत सहयोग लघु उद्योगों से जोड़ते हुए पारदर्शितापूर्ण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार, जिससे ग्रामीण एवं शहरी स्तर की प्रत्येक महिलायें लाभान्वित होगी एवं **सूचना संसाधन परामर्श केन्द्र** की स्थापना।	2008–12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामोद्योग विभाग उद्योग विभाग
5.2	गैर परंपरागत उद्यमिता विकास एवं **मार्केटिंग कौशल एवं रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण एवं वूमन हॉकर्स केन्द्र स्थापित करना।** **महिलाओं को रोजगार के क्षेत्रों से जोडना।**	2008–12	श्रम विभाग ग्रामोद्योग विभाग उद्योग विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
5.3	महिला उद्यमी के लिये **सरल**	2008–12	वित्त / संस्थागत वित्त विभाग

	सुविधापूर्ण ऋण प्रक्रिया एवं व्यक्तिगत रूप से बैंक डिफाल्टर होने पर समूह के लाभ से वंचित न करना या समूह के डिफाल्टर होने पर उसका परिणाम महिला को व्यक्तिगत रूप से न मिले।	सतत्	ग्रामोद्योग विभाग उद्योग विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
5.4	रोजगार के लिये शासकीय, गैर सरकारी, नियामक एवं कॉपरेटिव इकाईयों द्वारा **स्वरोजगार सेवा के लिये नेटवर्किंग एवं महिलाओं के लिये विशेष औद्यौगिक इकाईयों का गठन। जिला स्तर पर महिला आईटीआई केन्द्र की स्थापना।**	2008–12 सतत्	ग्रामोद्योग विभाग उद्योग विभाग रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग सहकारिता विभाग
5.5	आय बढ़ाने संबंधी **गतिविधियों का प्रचार प्रसार एवं महिलाओं को मार्केट उपलब्ध कराना एवं** महिला को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ।	2008–12 सतत्	उद्योग विभाग ग्रामोद्योग विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग/ (म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम) जनसंपर्क विभाग
5.6	गरीबी कम करने के लिये आय के क्षेत्र में **स्वसहायता समूहों को प्रशिक्षण,** उत्प्रेरणा व उन्नयन सुदृढ़ीकरण एवं आंगनवाड़ी के लिए पोषण आहार तथा शासकीय सामग्री के प्रदाय में प्राथमिकता एवं स्वसहायता समूहों के लिये **पृथक से बैंक** की स्थापना।	2008–10 सतत कार्ययोजना बनाना	ग्रामोद्योग विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उद्योग विभाग वित्त/संस्थागत वित्त विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
5.7	रोजगार व आय बढ़ाने के क्षेत्र में निरंतर **शोध एवं मूल्यांकन** तदनुसार उपयुक्त योजनाओं का निर्माण	2008–12 सधन कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण एवं कार्य	महिला एवं बाल विकास विभाग (म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम) **शोध एवं मूल्यांकन** – म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र,प्रशासन अकादमी
5.8	खनिज के **उत्खनिपट्टे** का अधिकार एवं खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधनों में **महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित** करना ।	2008–12 सतत्	खनिज साधन विभाग
5.9	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी मंडी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में **अनिवार्य रूप से प्रसाधन की व्यवस्था** एवं क्षेत्रवार निरीक्षण कर कार्ययोजना बनाकर कार्य करना।	2008–12 सतत्	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
5.10	लोक सेवाओं एवं अन्य शासकीय सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में	2008–12	प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग

	महिलाओं की सफलता के लिये **जिला स्तर पर आधारित प्रशिक्षण व्यवस्था** एवं कार्यक्रमों का निर्धारण व प्रसारण।		व्यवसायिक शिक्षा मंडल
5.11	घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को छोटे रोजगार एवं पुनर्वास की सुविधा एवं कौशल विकास एवं आजीविका के संसाधनों की उपलब्धता।	2008–12	ग्रामोद्योग विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग (म.प्र.महिला वित्त एवं विकास निगम)

प्रतिफल

महिलाओं में क्षमताओं के विकास के साथ आर्थिक, आत्म–स्वावलंबन एवं आय बढ़ाने के अवसर की उपलब्धता।

6. किशोरी बालिका के विकास के विशेष प्रयास

नीतिगत प्रावधान

किशोरी बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आहार के साथ गुणात्मक उपलब्धता तथा श्रम व यौन शोषण पर नियंत्रण एवं जीवन कौशल विकसित करना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- किशोरी बालिकाओं के प्रति पूर्वाग्रहरहित जैण्डर न्याय पर आधारित जीवन कौशल विकास के लिये सकारात्मक वातावरण निर्मित करना एवं मानसिकता में बदलाव के लिये संस्थागत व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।
- किशोरी बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा के लिये संस्थागत व्यवस्थायें उपलब्ध करना।
- किशोरी बालिकाओं के शोषण के विरूद्ध नियमों, कार्ययोजनाओं का निर्धारण एवं उनकी मॉनिटरिंग, मूल्यांकन तंत्र सुनिश्चित करना।

कार्ययोजना

क	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
6.1	किशोरी बालिकाओं के **जेण्डर न्याय पर आधारित जीवन कौशल एवं संबंधित अन्य मुद्दों पर डेटाबेस एवं किशोरी बालिका का पंजीकरण।**	2008–12 में सघन कार्यक्रम	योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग
6.2	शाला, परिवार, समूहों व समुदाय में बालिकाओं के प्रति ज्ञान एवं व्यवहार में सुधार की दृष्टि से **मानसिकता में बदलाव ।** **पाठ्य क्रम में किशोरी बालिकाओं से**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग जन संपर्क विभाग

	जुडे मुद्दों का प्रशिक्षण।		
6.3	शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण के प्रयास व इस हेतु **शालाओं में कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ना।**	2008–12 सतत्	स्कूल शिक्षा विभाग महिला संसाधन केन्द्र उच्च शिक्षा विभाग
6.4	स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण आहार, जीवन कौशल के लिये अभिमुखीकरण, विभिन्न माध्यमों से **एडवोकेसी कार्यक्रम** एवं कार्य योजना निर्माण। बालिकाओं के आत्मरक्षण के लिये प्रशिक्षण।	2008–12 सतत्	लोक एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग जनसंपर्क विभाग खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
6.5	बालिकाओं के यौन एवं सभी तरह के शोषण पर **नियंत्रण, संबंधित इकाईयों की जबावदेही सुनिश्चित करना एवं बालिकाओं को समग्र रूप से जागरूक करने के लिये प्रावधान।**	2008–12 सतत्	गृह विभाग, विधि एवं विधाई कार्य विभाग स्कूल शिक्षा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग लोक एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग
6.6	बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये **कार्यक्रमों का निर्धारण** एवं विटामिन ए, आयरन एवं फोलिक ऐसिड संबंधित दवाईयों को अनिवार्य रूप से दिया जाना एवं अनिवार्य रूबेला प्रतिरोधक टीकाकरण।	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
6.7	क्षेत्रवार **बालिका समूहों का निर्माण** एवं सुदृढीकरण करना एवं बालिकाओं के अभिमुखीकरण में एनजीओ व महिला संगठनों, एवं स्वसहायता समूहों द्वारा **सहयोग**	2008–12	स्कूल शिक्षा विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
6.8	किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिये एक **विशेष चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक/ चिकित्सक का प्रावधान।** **किशोरियों के लिये परामर्श केन्द्र की सुविधायें**	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्कूल शिक्षा विभाग
6.9	बालिकाओं को बोझ न समझा जाये इसलिये शासन की **विशेष योजना लाडली लक्ष्मी का प्रभावी कियान्वयन**	2008–12	महिला एवं बाल विकास विभाग
6-10	छात्रावास में रहने वाली महिलाओं के लिये विशेष सुरक्षा व्यवस्था।	2008–12	गृह विभाग स्कूल शिक्षा विभाग आदिवासी विकास विभाग

प्रतिफल

किशोरी बालिकाएं शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ शोषण रहित, खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण जीवन विकसित कर सकेंगी।

7. प्रत्येक स्तर पर निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में भागीदारी

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी एवं इस हेतु क्षमताओं को विकसित करना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- महिलाओं की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं को चिन्हित करना, सूचना सेवाओं व संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- महिलाओं की क्षमताओं से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिये परियोजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन की संस्थागत व्यवस्थायें।
- महिलाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रशासकीय इकाईयों, औपचारिक व अनौपचारिक व्यवस्था से जुड़ने के लिये समान अवसर उपलब्ध करना।
- महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में भागीदारी व इस हेतु क्षमताओं में विकास की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, मानदंड एवं शोध की व्यवस्था ।
- महिला की विकास प्रबंधक के रूप में भूमिका सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत तंत्र एवं वातावरण का निर्माण।

कार्ययोजना

क	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
7.1	कार्ययोजना बनाकर महिलाओं की **क्षेत्रवार जेण्डर पर आधारित आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का चिन्हांकन**	2008—10 सघन कार्यक्रम	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
7.2	स्थानीय स्तर पर **जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी** । निर्णय एवं व्यवस्था में **महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले नीति, कार्यक्रम व योजनाओं** का निर्धारण एवं क्रियान्वयन एवं 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना एवं नेतृत्व से जुडी एवं सभी महिलाओं का सम्प्रदायिक एवं जातीगत प्रताडना से संरक्षण संबंधी प्रावधानों को बढावा।	2008—12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय एवं प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग

7.3	**व्यक्तिगत कौशल विकास** के लिये सघन प्रशिक्षण – नेतृत्व – निर्णय शक्ति का विकास – समन्वय – प्रबंधन /सूचना संचार कौशल प्रशिक्षण नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों के सभी सदस्यों विशेषकर पुरूष सदस्यों का जेंडर संवेदी प्रशिक्षण।	2008 एक वर्ष का कार्यक्रम बनाकर पंचायत एवं नगरीय निकाय की महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	म. प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
7.4	**निर्णय के लिये क्षमताओं का विकास** हेतु **विशेष कार्यक्रमों**, प्रशिक्षणों का आयोजन, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों, मानवाधिकार, महिलाओं के अधिकार व साक्षरता, प्रशासनिक नियमों की विधिक जानकारी, न्यायिक, प्रशासनिक व वित्तीय प्रक्रिया की जानकारी को सम्मिलित करना।	2008–12 प्रशिक्षण कार्ययोजना	महिला संसाधन केन्द्र, प्रशासन अकादमी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
7.5	**लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के प्रयास। इस हेतु** महिलाओं में सुशासन की व्यवस्था के लिये सकारात्मक भागीदारी हेतु सूचना का अधिकार, जवाबदेही, पारदर्शिता के संबंध में अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन ।	2008–12 सतत	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
7.6	**जैण्डर न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा,** आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों में स्वसेवी संस्थाओं व **महिला संगठनों, स्वसहायता समूहों की सहभागिता।**	2008–12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वित्त विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
7.7	जिला एवं ब्लाक स्तर पर **सूचना संसाधन/सूचना सुविधा केन्द्र** की स्थापना व इसका दायित्व महिला संगठन को दिया जाए। संचालन करने वाले संगठन को संचार कौशल का प्रशिक्षण ।	2008–10	जन संपर्क विभाग
7.8	महिलाओं के अधिकार एवं महिलाओं द्वारा मूल्यों पर आधारित	2008–12	जन संपर्क विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास

	परिणाममूलक **अच्छे कार्यो (Best Practices) का प्रचार–प्रसार** एवं महिला स्व सहायता समूहों को पुरस्कृत करना।		विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी समस्त विभाग
7.9	समुदाय का दृष्टि विकास एवं **मानसिकता में बदलाव के लिये अभियान,** छोटी फिल्म, ब्रोशर, लोकगीत व अन्य **परंपरागत व नवाचारपूर्ण तरीकों से प्रयास।**	2008–12	जनसंपर्क विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी महिला एवं बाल विकास विभाग
7.10	प्रतिवर्ष महिलाओं की स्थिति पर **आंकड़ों पर आधारित प्रतिवेदन** तैयार करना जिससे उनकी संसाधनो तक पहुंच व क्षमताओं का विकास की जानकारी मिल सकेगी ।	2008 से प्रतिवर्ष	योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग समस्त विभाग
7.11	**राशन कार्ड महिलाओं के नाम** पर बनाना।	2008 से निरंतर	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
7.12	**महिलाओं के अधिकारों पर आधारित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार। चल अचल सम्पत्ति में महिला की भागीदारी एवं निर्णय लेने का अधिकार**	2008–12	जनसंपर्क विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्व विभाग सामान्य प्रशासन विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास
7.13	महिलाओं के लिये **महिला ग्रामसभा का आयोजन**	2008–12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास
7-14	पोषण आहार निर्माण में स्वसहायता समूहों को बढ़ावा	2008–12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास महिला बाल विकास विभाग
7-15	शासकीय क्रय, मध्यान्ह भोजन, शाला एवं छात्रावास केन्द्रों के आहार पोषण एवं सभी शासकीय व्यवस्थाओं में महिला समूहों को दायित्व सौपने की प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही	2008–12	सामान्य प्रशासन विभाग स्कूल शिक्षा विभाग महिला बाल विकास विभाग

प्रतिफल

महिलायें निर्णय व व्यवस्था प्रक्रिया में प्रभावी सहभागिता के माध्यम से विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगी।

8. जेण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के अनुसार लोक व्यय में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जैण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था का निर्धारण व क्रियान्वयन।

संस्थागत व्यवस्थायें

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सहयोग का आंकलन करते हुए महिलाओं की आवश्यकताओं व प्राथमिकता के अनुसार संस्थागत व्यवस्थायें।
- प्रत्येक स्तर पर बजट निर्माण व योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं के लिये उपयुक्त अंश सुनिश्चित करना।
- महिलाओं से संबंधित मुद्‌दों पर संस्थागत रूप में आकड़ों का संकलन एवं तंत्र सुनिश्चित करना।
- जैण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था के लिये क्रियान्वयन के लिये संस्थागत प्रक्रिया व तंत्र सुनिश्चित करना।

कार्ययोजना

क.	**गतिविधियाँ**	**समयावधि**	**विभाग**
8.1	महिलाओं से संबंधित मुद्‌दों पर अलग अलग **आंकड़ों का संकलन (Gender Disaggregated Data)**	2008 में विशेष कार्ययोजना 2008 से निरंतर	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त विभाग
8.2	महिलाओं से संबंधित मुद्‌दों पर आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के अनुसार बजट में निर्धारण व इस हेतु **टूल्स सुनिश्चित करना।**	2008	वित्त विभाग
8.3	लोक व्यय में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की पहुंच व **बजट में भागीदारी के लिये रणनीति** बनाना।	2008	वित्त विभाग,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
8.4	प्रशासकीय स्तर पर **अधिकारियों, कर्मचारियों को जैण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था के लिये प्रशिक्षण**	2008–2012 निरंतर	वित्त विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
8.5	जैण्डर पर आधारित बजट व्यवस्था की निरंतर **मॉनिटरिंग व वार्षिक विश्लेषण मूल्यांकन एवं शोध।** महिलाओं पर किये गये व्यय को विभागों की बेवसाईट पर डालना।	2008–2012	**मॉनिटरिंग** – वित्त विभाग **मूल्यांकन एवं शोध–** म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
8.6	जैण्डर पर आधारित लोक व्यय के **अंकेक्षण की व्यवस्था व डॉक्यूमेंटेशन**	2008–2012	वित्त विभाग
8.7	महिला नीति के क्रियान्वयन के लिये बजट का प्रावधान।	2008–2012	वित्त विभाग समस्त संबंधित विभाग

प्रतिफल

महिलाओं की आवश्यकता व प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों तक पहुंच व नियंत्रण को बढ़ावा।

9. श्रमिक महिलाओं के लिये हित संरक्षण एवं संसाधन

नीतिगत प्रावधान

श्रमिक महिलाओं के कल्याण, अधिकार संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं शोषण रहित वातावरण के साथ उनसे संबंधित विधियों, नीतियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- श्रमिक महिलाओं से संबंधित विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन की संस्थागत व्यवस्थायें एवं मॉनीटरिंग व मूल्यांकन।
- श्रमिक महिलाओं के लिये सकारात्मक वातावरण एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु तंत्र की व्यवस्था करना।

कार्ययोजना

क्र.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
9.1	**समान पारिश्रमिक, समान कार्य** अधिनियम का क्रियान्वयन, मानीटरिंगं एवं समीक्षा।	2008–12 निरंतर	श्रम विभाग
9.2	श्रमिक महिलाओं के **अधिकारों का संरक्षण, स्वास्थ्य एवं कार्य क्षेत्र में बच्चों की देखभाल की सुविधायें, स्तनपान कराने का अधिकार एवं छोटी बच्चियों को संरक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था।** गर्भकाल में महिलाओं से **कडी मेहनत करवाने से ठेकेदारों पर कडी कार्यवाही**	2008–2010 तक विशेष अभियान	श्रम विभाग लोक निर्माण विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उद्योग विभाग सबंधित विभाग
9.3	जैण्डर न्याय के कार्यक्रमों व श्रम विधियों का प्रभावी **क्रियान्वयन** व उनके प्रभावों का **वार्षिक मूल्यांकन**	निरन्तर 2008–2009 तक विशेष अभियान	म. प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
9.4	परम्परागत एवं गैरपरम्परागत कार्य , असंगठित एवं संगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों का पंजीयन, समस्याओं का चिन्हांकन एवं निवारण, **नवाचार के साथ कौशल विकास कार्यक्रम**	2008–2012 निरन्तर	श्रम विभाग योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग
9.5	स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली स्थितियों में कार्य करने वाली महिलाओं के लिये **विशेष सुविधायें एवं मातृत्व भत्ते एवं निशुल्क बीमा का प्रावधान**	2008–2012 सतत	श्रम विभाग
9.6	गरीबी, मानसिक चिन्ता एवं जैण्डर विभेद की स्थिति से अलग **शोषण रहित सकारात्मक वातावरण का निर्माण एवं कार्यस्थल पर प्रसाधन एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना।**	2008–2012 निरन्तर	श्रम विभाग
9.7	**महिला श्रमिक कल्याण समूहों, महिला**	2008–2012	श्रम विभाग

	स्वसहायता समूहों को बढ़ावा महिला एवं उनके स्वसहायता समूहों की उत्पादित सामग्री के लिये मार्केट उपलब्ध कराना		
9.8	श्रम के आधार पर कौशल विकास एवं आवास हेतु **महिला आवासगृहों** की व्यवस्था एवं ठेकेदारों को कार्यस्थल पर आवास बनाने के लिये निर्देश। जिला एवं विकास खंड स्तर पर **महिला रैन बसेरा** की सुविधा	2008–2012	श्रम विभाग उद्योग विभाग सबंधित विभाग
9-9	असंगठित क्षेत्र में दुर्गम एवं विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाली एवं पलायन से जुडी महिलां श्रमिकों के लिये विशेष सुरक्षा एवं उनका पंजीयन।	2008–2012	श्रम विभाग उद्योग विभाग
9-10	महिला निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था में अंतिम 3 माह बिना काम 50 प्रतिशत मजदूरी दी जाये एवं प्रसूति हित लाभ के रूप में रूपये एक हजार या अधिक चिकित्सा व्यय दिया जाना।	2008–2012	श्रम विभाग स्वास्थ्य विभाग

प्रतिफल

श्रमिक महिलाओं के कौशल विकास आर्थिक उन्नयन के साथ शोषण रहित न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

10. कार्य क्षेत्र में यौन प्रताड़ना की रोक–थाम

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं के साथ कार्यक्षेत्र में यौन प्रताड़ना के लिये सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन।

संस्थागत व्यवस्थायें

- कार्यक्षेत्र में यौन प्रताड़ना के विरूद्ध विभागों, संगठनों एवं संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर शिकायत समितियों की मॉनिटरिंग व मूल्यांकन करना।
- संस्थागत नियम, निर्देश एवं व्यवस्था का निर्धारण।
- कार्यक्षेत्र में जेण्डर न्याय पर आधारित वातावरण निर्मित करना।

कार्ययोजना

क्र	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
10.1	सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का **प्रचार प्रसार** व प्रताड़ना के **कारणों को चिन्हित** करना।	2008–2012	जनसंपर्क विभाग श्रम विभाग समस्त विभाग
10.2	विभागों/संगठनों/संस्थाओं (न केवल शासकीय वरन अशासकीय में भी) प्रत्येक स्तर पर कार्यक्षेत्र में यौन प्रताडना के विरूद्ध **शिकायत**	2008–2012	सामान्य प्रशासन विभाग समस्त विभाग

	समितियों का गठन, मॉनिटरिंग, शिकायतों पर कडाई से कार्यवाही एवं प्रताड़ित महिला को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सुरक्षा की व्यवस्था।		
10.3	प्रत्येक विभाग/संगठन मे शिकायत पेटी रखना	2008–2012	समस्त विभाग
10.4	शिकायत समितियों की स्थिति एवं कार्यवाही का मूल्यांकन एवं फॉलोअप समितियों की स्थिति का गठन एवं कार्यवाही का मूल्यांकन	2008–2012 प्रत्येक वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग समस्त विभााग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
10.5	विभागों/संगठनों मे कार्यक्षेत्र में यौन प्रताड़ना के विरूद्ध गठित समिति के सदस्यों का अभिमुखीकरण प्रक्रिया एवं दण्ड के प्रावधानों की स्पष्टता एवं सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का कडाई से पालन। जेण्डर के प्रति संवेदनशील सदस्यों को समिति में रखा जाना।	2008–2012	सामान्य प्रशासन विभाग समस्त विभाग
10.6	संस्थाओं/ संगठनों /विभागों में ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो कार्यक्षेत्र में हिंसा व प्रताड़ना से मुक्त वातावरण का निर्माण एवं पूर्वाग्रहों से संवेदनशीलता का विकास हो।	2008–2012	सामान्य प्रशासन विभाग समस्त विभाग
10.7	कार्यक्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध हिसां पर नियमानुसार कार्यवाही एवं उनकी सुरक्षा के उपाय।	2008–2012	सामान्य प्रशासन विभाग समस्त विभाग
10.8	व्यक्तिगत एवं असंगठित कार्यरत महिलाओं के प्रति यौन प्रताड़ना के विरूद्ध वातावरण का निर्माण एवं कार्यवाही एवं सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के पालनार्थ कार्यवाही।	2008–2012	समस्त विभाग

प्रतिफल

कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिये सकारात्मक व संवेदनशील वातावरण का निर्माण एवं यौन प्रताड़ना समाप्त होगी।

11. महिलाओं की वन, जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण में सक्रिय भागीदारी

नीतिगत प्रावधान

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला की वन, जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों में सक्रिय सहभागिता बढ़ाना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की वन, जल, स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों तक पहुंच व नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को पर्यावरण प्रबंधक के रूप में विकसित करने के लिये वातावरण व क्षमताओं का निर्माण करना।

कार्ययोजना

क.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
11.1	वन समितियों में महिलाओं की आरक्षण नियमों के अनुसार **सक्रिय भागीदारी** को बढ़ाना एवं छोटे–छोटे प्रोजेक्ट में महिला भागीदारी को बढावा।	2008–12	वन विभाग
11.2	लघुवनोपज के माध्यम से महिलाओं की **भागीदारी व अर्थिक लाभ के कार्यक्रम**	2008–12	वन विभाग
11.3	व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में **महिलाओं को प्रशिक्षण** । कचरे के पुनः **उपयोग पर प्रशिक्षण** ।	2008–12	आवास एवं पर्यावरण विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
11.4	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे जल प्रबंधन, संवर्धन एवं शुद्ध पेय जल की गुणवत्ता की व्यवस्था संबंधी **कार्यक्रमों, परियोजनाओं में महिलाओं से परामर्श व सहभागिता एवं नियंत्रण एवं महिलाओं के नियंत्रण को बढावा।**	2008–12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
11.5	स्वच्छ पेयजल गुणवत्ता, फूड हाइजिन, प्रदूषण नियंत्रण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिये **पंचायतों के माध्यम से अभिमुखीकरण कार्यक्रमों** का आयोजन। शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों के माध्यम से संगोष्ठियों का आयोजन एवं विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार।	2008–12	जल संसाधन विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनसंपर्क विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
11.6	महिलाओं से हैंडपंप लगाने के स्थान चयन में **परामर्श व हैडपंप सुधारने का प्रशिक्षण**	2008–12	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल संसाधन विभाग

	देना।		नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
11.7	**जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधित मुद्दों से महिला संगठनों को जोड़ना।**	2008–12 सघन कार्यक्रम	जल संसाधन विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कल्याण आवास एवं पर्यावरण विभाग वन विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
11.8	पर्यावरण से जुड़े विभागों में **महिला प्रकोष्ठ,** महिलाओं की जल, ईधन, भूमि संबंधी संसाधनों तक पहुंच के लिये कठिनाईयों को कम करने के प्रयास। वन एवं पर्यावरण विधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा प्रदूषण बढने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभाव पर नियंत्रण।	2008–12	आवास एवं पर्यावरण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग वन विभाग उद्योग विभाग
11.9	बडे कार्पोरेट कंपनियों द्वारा /कारखानों द्वारा प्रदूषण बढ़ने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर नियंत्रण के प्रयास।	2008–10	आवास एवं पर्यावरण विभाग उद्योग विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
11.10	खेतीहर महिलाओं के लिये कौशल विकास, कृषि में जल मितव्ययता के आधार पर सिंचाई की **नवीनतम पद्धति का प्रशिक्षण**	2008–10	कृषि विभाग
11.11	**प्राकृतिक संसाधनों** का निर्धारण महिलाओं की आवश्यकता व प्राथमिकता के अनुसार **सुनिश्चित करना**	2008–12	वन विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
11.12	वैकल्पिक **ऊर्जा संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच** हेतु कार्ययोजना।	2008–12	वन विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग **ऊर्जा विभाग** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
11.13	कार्यक्रमों परियोजनाओं की **मॉनिटरिंग मूल्यांकन व जेण्डर न्याय की दृष्टि से अनुसंधान।**	2008–12	**मॉनिटरिंग** – वन विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग जल संसाधन विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

			मूल्यांकन एवं अनुसंधान – महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी म.प्र.

प्रतिफल

- विकास की मुख्य धारा में प्राकृतिक संसाधनों के विकास, नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में लिंग पर आधारित विभेद कम होंगे एवं महिला की प्रभावी पहुंच व नियंत्रण सुनिश्चित होगा।
- जल संसाधनों तथा स्वच्छता के लिये पर्यावरण प्रबंधन में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी आवश्कताओं व प्राथमिकताओं के अनुसार पहुंच व नियंत्रण सुनिश्चित होगा।

12. महिला की कृषि, पशुपालन, मत्स्योद्योग एवं ग्रामोद्योग में सहभागिता

नीतिगत प्रावधान

कृषि तथा पशुपालन, मत्स्योद्योग एवं ग्रामोद्योग संबंधित गतिविधियों में क्षमताओं के साथ सक्रिय सहभागिता एवं विकास संसाधनों पर नियंत्रण।

संस्थागत व्यवस्थायें

- महिलाओं का कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सशक्तिकरण एवं इस हेतु संस्थागत व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।
- फूड प्रोसेसिंग एवं खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना एवं जैविक खेती की व्यवस्था को बढ़ावा देना।
- महिला समूहों की डेयरी विकास, रेशम उद्योग, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, फलोद्यान में भागीदारी बढ़ाना व इसके लिये प्रबंधन व कौशल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- महिलाओं को कृषि प्रौद्योगिकी से संबंधित अध्ययन, शोध व प्रबंधन नवाचारों के क्षेत्र में बढ़ावा देना।

कार्ययोजना

क.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
12.1	महिलाओं के लिये **आधुनिक कृषि तकनीकी** पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर कौशल विकास।	2008–12 सतत	कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय
12.2	स्वयम् सेवी संस्थाओं, महिला संगठनों स्व सहायता समूह के सहयोग से सेरीकलचर, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, फूल एवं फलों औषिधीय पौधे की खेती, जैविक खेती के लिये छोटे–छोटे प्रोजेक्ट बनाना व उत्पादन बढ़ाना व इस हेतु **प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सामान्य कृषि प्रशिक्षण में महिलाओं की 50 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित करना।**	2008–2012 2008–09 सघन कार्ययोजना	कृषि विभाग ग्रामोद्योग विभाग संबंधित विभाग
12.3	प्रदेश में कृषक एवं कृषि श्रमिक	2008–12	कृषि विभाग

	महिलाओं का **डेटाबेस तैयार करना एवं पंजीकरण तैयार करना**		
12.4	कृषि विभाग, मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये प्रत्येक स्तर पर **जैण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण।**	2008–12	सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी संबंधित विभाग
12.5	राज्य मंडी बोर्ड में **महिला मण्डी अध्यक्ष एवं महिला व्यापारी प्रतिनिधि,मंडियों में कृषक महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था**	2008–12	कृषि विभाग
12.6	महिला कृषि कामगारों को **समान मजदूरी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा व बच्चों की देखभाल** की सुविधायें एवं महिलाओं के लिए सुविधाजनक उपकरणों का निर्माण करना।	2008–12	कृषि विभाग श्रम विभाग
12.7	महिलाओं से संबंधित कृषि कार्यक्रमों का **मूल्यांकन एवं शोध** (जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से)	2008–12 मॉनिटरिंग निरंतर मूल्यांकन वार्षिक	कृषि विभाग (जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से) म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
12.8	तालाबों और जलाशयों में **मछली मारने के अधिकार महिला समूहों** को देना।	2008–12 सतत	मछली पालन विभाग
12.9	महिला कृषकों को **कम ब्याज पर ऋण** की व्यवस्था। महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकारों की सुनिश्चितता एवं महिला पुरूष के संयुक्त पटटों की कार्यवाही पर सुनिश्चितता।	2008–12	कृषि विभाग राजस्व विभाग
12.10	ग्रामोद्योग में कार्यरत **महिलाओं को न्यूनतम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था**	2008–12	ग्रामोद्योग विभाग
12.11	कृषि से संबंधित **निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी ।**	2008–12	कृषि विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास
12.12	ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम के लिये पलायन करने वाली महिलाओं का पंचायत में पंजीयन करना।	2008–12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास
12.13	महिलाओं की भूमि संबंधी सुनिश्चितता एवं संयुक्त पटटों की कार्यवाही में शीघ्रता	2008–12	राजस्व विभाग

प्रतिफल

कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण व सक्रिय भागीदारी ।

13. कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं के लिये सुविधायें एवं संसाधन

नीतिगत प्रावधान

कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को समान अवसर एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने वाली महिलायें जैसे निराश्रित, अत्याधिक गरीब, शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त, आपात से प्रभावित, संसाधनों से वंचित, अधीनता की स्थिति में कार्य करने वाली तथा जेल से विमुक्त महिलाओं के लिये संस्थागत व्यवस्था एवं इस हेतु नियम प्रवधान व संसाधन विकसित करने के लिये व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।

कार्ययोजना

क.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
13.1	प्रत्येक जिले में **आश्रय गृहों की स्थापना।**	2008–09 कार्ययोजना	महिला एवं बाल विकास विभाग
13.2	**परामर्श केन्द्र, मार्गदर्शन केन्द्रों, सूचना सुविधा केन्द्र, सूचना संसाधन केन्द्रों की जिला एवं ब्लाक स्तर** पर स्थापना।	2008–12	जनसंपर्क विभाग जेल विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
13.3	शोषण के विरूद्ध **विधियों के अंतर्गत कार्यवाही की मॉनिटरिंग।**	2008–12	गृह विभाग विधि एवं विधाई कार्य विभाग महिला बाल विकास विभाग
13.4	अलग–अलग कठिन स्थितियों में रहनेवाली महिलाओं, जिसमें दंगे एवं विस्थापन से प्रभावित महिलायें शामिल हों, उनके **सशक्तिकरण व पुनर्वास के लिये छोटी–छोटी कार्ययोजनायें एवं राहत कोष की व्यवस्था** एवं **रोजगार में प्राथमिकता।**	2008–12	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग
13.5	ऋण कार्यक्रमों द्वारा **महिलाओं को लाभ दिलाना** व इस हेतु महिला संगठनों/एनजीओ व स्वसहायता समूहों से **सहयोग।** महिला प्रधान	2008–12	वित्त विभाग, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग(महिला वित्त एवं

	परिवारों में प्रत्येक प्रकार का मुआवजा महिलाओं को दिया जाये।		विकास निगम) जेल विभाग
13.6	क्षेत्रीय आधार पर महिलाओं की क्षमताओं का विकास के लिये **विशेष कार्यक्रम एवं कार्ययोजनायें एवं आवश्यकता अनुसार जीवन उपयोगी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।** **बंदिनी महिलाओं के लिये विशेष अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण।**	2008–12	ग्रामोद्योग विभाग,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग(महिला वित्त एवं विकास निगम), जेल विभाग
13.7	कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की श्रेणीवार, **अलग–अलग जानकारी का डेटाबेस** एवं पहचान पत्र।	2008–12	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग संबंधित विभाग
13.8	**विधवा विवाह को प्रोत्साहन** एवं **पेंशन संबंधी सुविधायें।**	2008–12	पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग
13.9	**आर्थिक रूप से अति कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को सुविधायें** **कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को आवास गृह एवं बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना।**	2008–12	पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग
13.10	**बंदिनी महिलाओं को कॉउन्सलिंग, सूचना संसाधन की उपलब्धता एवं महिला अधिवक्ताओं द्वारा विधिक सहायता की सुनिश्चितता।**	2008–12	जेल विभाग, गृह विभाग विधि विभाग
13.11	**जेल से निकलने वाली महिलाओं के पुनर्वास की योजना**	2008–12	पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग जेल विभाग
13.12	**कमजोर वर्ग एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं व उनके बच्चों के लिये विशेष योजनायें जैसे जाबाली योजना का कडाई से प्रभावी क्रियान्वयन एवं उनका समय समय पर मूल्यांकन ।**	2008–12	महिला बाल विकास विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
13.13	**दंगों एवं विस्थापन से मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडित महिलाओं की विशेष सहायता।**	2008–12	सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग महिला बाल विकास विभाग संबंधित विभाग

प्रतिफल

कठिन परिस्थितियों में रहनेवाली महिलाओं के समान अवसर एवं आवश्यक सुविधायें साथ ही संसाधनों की उपलब्धता।

14. महिलाओं की सूचना संचार तकनीकी में भागीदारी

नीतिगत प्रावधान

सूचना संचार तकनीक के माध्यम से महिलाओं की सूचना संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना एवं क्षमताओं का विकास करना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- सूचना संचार तकनीक को महिलाओं से मित्रवत बनाने के लिये कार्यक्रम व संस्थागत सुविधायें सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की सूचना तक पहुंच बढ़ाना।
- विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों का डेटाबेस तैयार करने के लिये तंत्र विकसित करना।

कार्ययोजना

क्र.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
14.1	महिलाओं के लिये सूचना संचार तकनीक में **कम्युनिकेशन सर्विस सेन्टर** के माध्यम से संसाधन, कौशल विकसित करने के लिये प्रशिक्षण/**अभिमुखीकरण कार्यक्रम।**	2008–09	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
14.2	ब्लाक स्तर तक महिलाओं का प्रत्येक क्षेत्र में **डेटाबेस।**	2008–10	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग
14.3	**मोबाइल कम्प्यूटर केन्द्रों** की स्थापना।	2008–10	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
14.4	ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में सूचना संचार पद्धति के लिये **क्षमताओं का विकास एवं वातावरण का निर्माण।**	2008–12	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
14.5	मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिये विशेष **वेबसाइट का निर्माण।**	2008–12	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रतिफल

महिलायें सूचना संचार तकनीक से मित्रवत होकर अपनी समस्याओं के समाधान की क्षमता रख सकेंगी।

15. नीतिगत प्रावधानों की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन

नीतिगत प्रावधान

महिलाओं से संबंधित नीतिगत प्रावधान, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन कर उसके आधार पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना।

संस्थागत व्यवस्थायें

- नीतिगत प्रावधानों के अनुसार सामान्य प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेगी।

कार्ययोजना

क.	गतिविधियाँ	समयावधि	विभाग
15.1	**महिला नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये विभागों में समन्वय, सुदृढ मानिटरिंग एवं समयबद्ध ऑनलाइन मानिटरिंग।**	2008–12	सामान्य प्रशासन विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त विभाग
15.2	महिला नीति एवं उसकी **कार्ययोजना का व्यापक प्रचार प्रसार** एवं इस हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं, पंचायत राज संस्थाओं एवं स्व–सहायता समूह से सहयोग । ब्लाक स्तर पर चिन्हित इकाई को दायित्व प्रदान करना।	2008–12	महिला एवं बाल विकास विभाग जनसंपर्क विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
15.3	महिला नीति के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारियों की व्यवस्था,क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी के पास कम से कम एक वर्ष तक निरंतर क्रियान्वयन का दायित्व रखा जाये ।	2008–12	महिला बाल विकास विभाग समस्त विभाग
15.4	प्रत्येक स्तर पर सभी के लिये **जैण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण**, एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर **प्रशिक्षण विश्लेषण एवं मूल्यांकन एवं डेटाबेस** तैयार कर पारदर्शी व्यवस्था करना।	2008–12	सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
15.5	प्रशासन अकादमी में स्थापित महिला संसाधन केन्द्र का **सुदृढ़ीकरण एवं जिलों से संबद्धता जिलों एवं ब्लाक स्तर से संबद्धता।** **जिला स्तर पर महिला संसाधन केंद्र की स्थापना।**	2008–10 सघन कार्यकम	सामान्य प्रशासन विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग
15.6	केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिये **संचालित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं** के संबंध में प्रभावी क्रियान्वय हेतु दिशा निर्देश जारी करना एवं जिला ब्लाक और ग्रामीण	**2008–12**	सामान्य प्रशासन विभाग समस्त विभाग

	स्तर पर महिला विकास समितियों का गठन।		
15.7	महिला नीति के सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिये **परिणाम मूलक मानदण्ड सुनिश्चित करते हुये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार** करना त्रैमासिक रूप से प्रतिवेदन की प्रस्तुति महिला बाल विकास विभाग के समक्ष एवं **वार्षिक प्रतिवेदन** की समीक्षा मुख्य सचिव /मुख्यमंत्री स्तर पर हो।	**2008–12**	महिला बाल विकास विभाग समस्त विभाग म.प्र. महिला संसाधन केन्द्र प्रशासन अकादमी
15.8	महिला नीति के कडाई से पालन के लिये **मुख्य सचिव स्तर पर मुख्य समिति का गठन** किया जाये एवं समीक्षा के आधार पर प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया जाये।	**2008–12**	सामान्य प्रशासन विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त विभाग
15.9	महिला नीति के विभागों से समन्वयन हेतु **राज्य स्तरीय समन्वय इकाई का गठन** कर विभाग को दिये गये दायित्वों का डाक्युमेंटेशन करना।	**2008–12**	महिला बाल विकास विभाग महिला संसाधन केन्द्र

प्रतिफल..

महिला नीति 2008–12 का परिणाममूलक क्रियान्वयन।

''बिटिया बनकर आना मेरे आंगन में,
यह विश्व भुवन है तुम्हारे प्रांगण में''

``````````````````
``````````````````